आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
22.07.2026	बजाज हिन्दुस्थान सुगर लि० प्रतातपुर (उत्तर प्रदेश) के क्षेत्रीय विकास परिषद, न्यू सावन, जनपद, सिवान के 480 ग्रामों को वर्ष 2026–27 से लेकर 2028–29 तक के लिए अपरंपरागत क्षेत्र आरक्षण हेतु प्रस्ताव पर सुनवाई किया गया। **उपस्थितिः–** सुनवाई के दौरान भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया के प्रतिनिधि, मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स लि० गोपालगंज के प्रतिनिधि एवं ईख पदाधिकारी गोपालगंज उपस्थित है। बजाज हिन्दुस्थान सुगर लि० के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि क्षेत्रीय विकास परिसद न्यू सावन जनपद, सिवान (बिहार राज्य) के 480 ग्रामों से प्रतापपुर चीनी मिल तीन दिशाओं से घिरी हुई है तथा यह सभी ग्राम चीनी मिल के 15–20 कि०मी० परिधि क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है। क्षेत्रीय विकास परिषद न्यू सावन के 480 ग्राम के कृषक न्यूसावन चीनी मिल बन्द होने के उपरान्त सभी कृषक अपने गन्ने की आपूर्ति प्रतापपुर चीनी मिल को करते आ रहे है, तथा उक्त ग्राम अपरम्परागत रूप से प्रतापपुर चीनी मिल को आरक्षित होते रहे है। उपरोक्त प्रस्तावित 480 ग्रामों के शत–प्रतिशत ईखोत्पादक मिल गेट के कृषक है, उन्हें मिल गेट के ईख मूल्य दर का लाभ मिलता रहा है तथा सभी किसान चीनी मिल के गन्ना विकास कार्यक्रम, गन्ना खरीद एवं गन्ना मूल्य के भुगतान से चीनी मिल के प्रदर्शन से सन्तुष्ट है। उपरोक्त सभी अपरम्परागत ग्रामों को वर्ष 2026–27 से लेकर 2028–29 तक के लिए आरंक्षण हेतु प्रस्ताव, बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद विनियमन 1978, अधिनियम 1981 एवं बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद विनियमन (संशोधन) अधिनियम 1993 के तहत् जो वांक्षित है, उनका अनुपालन चीनी मिल द्वारा शत प्रतिशत करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। चीनी मिल	

ने अपना एक शाखा कार्यालय बिहार प्रदेश के अंतर्गत ग्राम–मैरवा, जिला–सिवान में खोल रखा है। मैरवा रेलवे स्टेशन ही हमारे समस्त व्यापारिक कार्यो के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है। गन्ना पेराई हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत है।

बिहार के प्रस्तावित ग्रामों के कृषकों के साथ घरेलु एवं अन्योन्याश्रय संबंध होने के कारण प्रतापपुर चीनी मिल ने सदा से ही चीनी मिल के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु ईख विकास की दिशा में निरंतर सक्रिय प्रयास किया है, जिसमें उन्नत प्रभेद के ईख बीज संबर्द्धन, खुँटी ईख के रख–रखाव, ईख के कीट एवं रोगों पर नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के उपचार, आधुनिक कृषि यंत्रों का वितरण, सिंचाई क्षमता में विस्तार एवं सड़क–पुलिया निर्माण इत्यादि कार्यक्रमों पर ईख विकास के मद में विगत वर्षो में शासकीय योजनाओं के अतिरिक्त चीनी मिल द्वारा विगत 123 वर्षों में भारी व्यय किया है।

चीनी मिल द्वारा चलायी गयी ईख विकास योजनाओं से प्रभावित होकर समाहर्त्ता, सिवान द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित ग्रामों को प्रतापपुर चीनी मिल के साथ लम्बे समय के लिए आरक्षित करने की अनुशंसा की है।

न्यू सावन चीनी मिल के बंद होने के उपरांत लगातार ये सभी ग्राम प्रतापपुर चीनी मिल को आरक्षित होते आ रहें है, जिसके कारण हमने अपने चीनी मिल की क्षमता का विस्तार 3200 टीडीसी से बढ़ाकर 6000 टीडीसी किया तथा नवीनीकरण एवं क्षमता विस्तारीकरण के कार्य में भारी व्यय किया है। अतः उक्त 480 ग्रामों को पूर्व की भांति हमारी चीनी मिल को पुनः वर्ष 2026–27 से लेकर 2028–29 (तीन वर्षो के लिए) अपरांपरागत तौर पर आरक्षित करने का अनुरोध करते है।

मेसर्स भारत सुगर मिल्स सिधवलिया के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि न्यू सावन चीनी मिल के बंद हो जाने के उपरांत समस्त 480 ग्रामों को अपरांपरागत रूप से मेसर्स बजाज हिस्दुस्थान सुगर्स लिमिटेड प्रतापपुर, उत्तरप्रदेश को आवंटित किया गया है, जो विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज के आवंटित ग्रामों के नजदीक है। अतएव न्यू सावन चीनी मिल के समस्त 480 ग्रामों को मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज के पक्ष में आवंटित किया जाना हितकर होगा एवं पूर्वी चम्पारण जिला के अंतर्गत पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक के लिए विष्णु सुगर मिल को पूर्व में आवंटित 165 ग्रामों को हमारी

चीनी मिल के पक्ष में आवंटित किया जाना हितकर होगा क्योंकि सासामुसा बंद चीनी मिल के सभी ग्राम विष्णु सुगर मिल के पक्ष में आवंटित है।

विष्णु सुगर मिल के प्रतिनिधि द्वारा लिखित जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। उनके द्वारा यह कहा गया कि वर्तमान स्थापित क्षमता 4900 टीसीडी है। हम अपनी पेराई क्षमता को बढ़ाकर 55000 क्विंटवल गन्ना प्रतिदिन करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए हमने अपने मिल हाउस और बॉइलिंग हाऊस में संशोधन किए है। हम अपने आरक्षित गाँव में व्यापक गन्ना विकास गतिविधियाँ भी शुरू की है। पेराई क्षमता के विस्तार के कारण लगभग 72 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है।

ईख पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा कहा गया कि किसी भी मिल को कोई आपत्ति नहीं है। अतएव पूर्वी चम्पारण पूर्ववत रखा जाए। साथ ही लिखित जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।

सभी पक्षों को सुना, संबंधित ईख पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है, कि Rationalization Existing गाँव अभी किसके पास है और वहाँ Cane area कितना Develop है, इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा समर्पित करें। साथ ही Overlap को कैसे Reduce कर किसी भी चीनी मिल के गेट से गन्ना गुजरते हुए दूसरे चीनी मिल में जाता है, उसका उपाय करे। अपरंपरागत क्षेत्रों के आरक्षण हेतु क्षेत्रीय किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सभी संबंधित पक्ष अपना लिखित जबाव दाखिल करें। कार्यालय सभी संबंधित पक्षों को अगली बैठक की तिथि निर्धारित होने पर सूचित करें।

ह०/–
लेखापित एवं शुद्धित।

ह०/–
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–2–800–26 / 2020– 1392 / ई०आ० / पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–दखलकार / अधियासी, मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर लि०, प्रतापपुर (उत्तर प्रदेश) / ईख पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.26

(वेदव्रत कुमार)
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–2–800–26 / 2020– 1392 / ई०आ० / पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त ईखायुक्त / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–2–800–26 / 2020– 1392 / ई०आ० / पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

Hearing-Is